संख्याः 136 /XVII(2)/2(म0क0)/2021

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 11 जून, 2021

विषय :– माह मार्च 2020 के उपरान्त कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र सं0 4/2/XIII/2021–सी0एक्स0 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा मार्च 2020 के उपरान्त कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं:–

1. कोविड–19 के दृष्टिगत प्रस्तावित योजना दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी।
2. उक्त अवधि में कोविड–19 महामारी/अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर योजना लागू होगी।
3. उक्त योजना से आच्छादित बच्चों को रु0 3000/– की आर्थिक सहायता प्रतिमाह 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य होगी।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह मार्च, 2020 के उपरान्त कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान किए हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त योजना के संबंध में क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

क्रमशः....2

Scanned with CamScanner

पृ0संख्याः- (1)/XVII(2)/2(म0क0)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलॉयुक्त, गढ़वाल/कुमौंऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner